

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय,
सेक्टर-7 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, उ०प्र०।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
नगर विकास अनुभाग-5,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- पी०एम०यू०/१००२०/५६०/२०२३

लखनऊ दिनांक ०१/११/२०२४

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन- 2.0 के अन्तर्गत आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ को रिसोर्स सेन्टर नामित किये जाने के संबंध में आख्या/प्रस्ताव के विषयगत।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्र संख्या- 1082/नौ-5-2024-computer no. 1788148 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र के पत्र संख्या- URC/2005/24/2023-24, दिनांक 17.02.2024 को संलग्न कर स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ को रिसोर्स सेन्टर नामित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव/आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- D.O No. 12/2/2022-SBM-III/PHE, दिनांक 08.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है कि राज्य स्तर पर कैपेसिटी विल्डिंग गतिविधियों को स्वच्छता नॉलेज पार्टनर्स के सहयोग से नेशनल कैपेसिटी विल्डिंग फ्रेमवर्क फॉर गार्वेंज फ्री सिटीज एवं राज्य के कैपेसिटी विल्डिंग एक्शन प्लान के प्राविधानों के अन्तर्गत आयोजित किया जाना है, जिस हेतु कुल 23 स्वच्छता नॉलेज पार्टनर्स को चयनित किया गया है, जिसमें आर०सी०यू०ई०एस० को भी एक स्वच्छता नॉलेज पार्टनर नामित किया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में पृथक से रिसोर्स सेन्टर नामित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

संलग्नक:यथोक्त


भवदीय,


(डॉ० नितिन बंसल)
राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
- 3- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- स्टेट पी०एम०यू०, स्वच्छ भारत मिशन, उ०प्र०।


(डॉ० नितिन बंसल) 01/11/24
राज्य मिशन निदेशक